न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 75 / 2025

प्रार्थी

01. दुर्गाराम पुत्र आदुराम जाति सीरवी निवासी केलवाद तह0 सोजत जिला पाली राज0

बनाम

अप्रार्थीगण

01. पारी देवी पत्नी डेंडाराम
02. मदनलाल पुत्र डेडाराम
03. शेषाराम पुत्र डेडाराम
04. सायरी देवी पुत्री डेडाराम जातिगण सीरवी निवासी केलवाद तह0 सोजत, पाली।
05. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री गोविन्द प्रसाद, श्रीमती सोनल बोहरा, अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक : 27/05/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार हल्का केलवाद, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां, तहसील सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970 / 234, 972 / 60, 974 / 65 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.2800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 61, 62, 63 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उक्त वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970 / 234, 972 / 60, 974 / 65 एवं 61, 62, 63 के चिपते ही ग्राम केलवाद के खसरा नंबर 979 / 234, 971 / 60, 973 / 65 कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.2800 हैक्टर की कृषि भूमि अप्राथी संख्या 1 से 4 की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। उक्त तमाम कृषि भूमि प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते एवं सामने आयी हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970 / 234, 972 / 60, 974 / 85 एवं 61, 62, 63 की भूमि व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की कृषि भूमियों के बीच स्थित माठो एवं सीमाओं एवं धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद व पक्षकारों के मध्य मनमुटाव उत्पन्न होते रहते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थी की उक्त भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करते है तथा प्रार्थी को काश्त करने में भी सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते है, मौके पर हर समय सीमा एवं माठ को लेकर भारी विवाद रहता है। प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि के सीमाकंन एवं पैमाईश हेतु आवेदन तहसीलदार, सोजत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी ग्राम केलवाद को दिनांक 24 / 02 / 2025 को उक्त सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट में मौके पर

उपखण्ड अधिकारी,

सीमाओं पर विवाद होने व उक्त खसरा भाकर के समीप स्थित होने के कारण सीमाकंन नहीं किया गया और अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा मौके पर प्रार्थी से सीमाज्ञान/पत्थरगड्डी के अभाव में लगातार विवाद कर रहे है जिस हेतु प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मौके पर मुटाम लगवाकर पत्थर गड्डी करवाना चाहता है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार हल्का केलवाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970/234, 972/60, 974/65 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.2800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 61, 62, 63 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाया जाने के आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार हल्का केलवाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970/234, 972/60, 974/65 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.2800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 61, 62, 63 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर भूमि की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी खातेदारान के मध्य उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर करं मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार हल्का केलवाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970/234, 972/60, 974/65 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.2800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 61, 62, 63 कुल खसरा 3 कुल

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रकबा 0.3100 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित समझते है।

–ः आदेश ः–

अतः अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम कैलवाद पटवार हल्का केलवाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 232, 235, 59, 64, 970/234, 972/60, 974/65 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.2800 हैक्टर एवं खसरा नंबर 61, 62, 63 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.3100 हैक्टर का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत